वानिकी समाचार

वन विभाग राजस्थान का मासिक पत्र

वर्ष : 26 अंक : 4 अप्रेल-2009

स्वस्थ सुखी सम्पन्न इंसान।
हरा भरा हो हिन्दुस्तान।।

वानिकी अनुसंधान सलाहकार ग्रुप की बैठक

वन विभाग में किये जा रहे वानिकी अनुसंधान कार्यों हेतु गठित वानिकी सलाहकार ग्रुप की एक बैठक 20 मार्च, 09 को वन वर्धन अधिकारी, जयपुर के कार्यालय में हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ट्री) श्री यू.एम. सहाय ने की। बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव श्री भरत टेमनी ने विगत् 3 वर्षों से चल रही अनुसंधान परियोजनाओं एवं आगामी वर्ष में किये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव विचारार्थ रखें।

बैठक में श्री यू.एम. सहाय ने कहा कि किसी भी संस्थान में अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन विभाग, राजस्थान में मूलतः अनुसंधान पादप वृद्धि एवं सेम्पल प्लाट पर केन्द्रित रहा है। राज्य में विस्तृत पड़त भूमि है, जिस पर अनुसंधान द्वारा उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर वृक्षाच्छादित किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी अनुसंधान परियोजनायें समाज, समुदाय, लाभार्थियों और विभागीय हितों के लिए लाभकारी होनी चाहिये।

अति. प्र. मु. व. सं., अरावली परियोजना, श्री ओ.पी. मेहता ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उपयुक्त योग्यताधारक मानव संसाधन का अभाव वानिकी अनुसंधान की राह में बड़ा रोडा है। उन्होंने अर्द्ध स्थिर टिब्बों के उपचार हेतु विशेष तकनीक विकसित करने, लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सुधारने स्थानीय वनमंडलों, सिल्वा, काजरी, आफरी आदि की सहायता से करने आदि का सुझाव दिया। आफरी, जोधपुर के वैज्ञानिक डॉ. वी.पी. तिवारी ने कहा कि अनुसंधान के विषयों का दोहरीकरण नहीं होना चाहिए एवं किसी भी अनुसंधान परियोजना को शुरू करने से पहले आफरी के प्रकाशित साहित्य पर गौर कर लेना चाहिए।

आफरी के ही डॉ. जी. सिंह ने रेतीले टिब्बों को स्थिरीकरण करते समय हवा की दिशाओं को विशेष ध्यान में रखकर ही प्लाटेशन कियो जाने का विचार रखा। उन्होंने वी-डिच, कन्टयूर ट्रेंच तकनीक की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि सफल वृक्षारोपण क्षेत्रों का जैव-विविधता मूल्यांकन कार्य भी किया जाना चाहिए।

इस संस्था के वैज्ञानिक पी.एच. चौहान ने विभाग के बीज अंकुरण तकनीक तथा बीज उत्पादन क्षेत्रों के बारे में सराहना की और सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए आफरी के वैज्ञानिकों की मदद भी ली जानी चाहिये।

सम्पादकीय...

खनन एवं पर्यावरण

अरावली की पहाड़ियों पर की जा रही खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्यावरण हितों के मद्देनजर एक साहसिक कदम है। अरावली की पहाड़ियों की रक्षा के लिए कोर्ट का यह फैसला अचानक नहीं आया है। इससे पहले वर्ष 1994 में इसी अदालत ने खनन गतिविधियों में शामिल लोगों को खनन के साथ पर्यावरण संतुलन बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी ने भी इन निर्देशों की सुध नहीं ली। इसी का नतीजा रहा कि अरावली की हरी-भरी पर्वत श्रेणियां समय गुजरने के साथ शुष्क पथरीली पहाड़ियों में तब्दील होती गई। इन पहाड़ियों की उपग्रह से ली गई तस्वीरों से भी साफ हो गया है कि इतने सालों में पर्यावरण मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए कितने अंधाधुंध तरीके से उसके सीने की छलनी किया गया। ये तस्वीरें कोर्ट में उसके द्वारा नियुक्त समिति ने ही पेश की थी। इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। खनन गतिविधियों की वजह से अरावली के पर्यावरण तंत्र को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई के लिए कोर्ट ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को एक योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

यदि कोर्ट यह पहल नहीं करता तो अरावली की पहाड़ियों पर पर्यावरण के जो छिटपुट अवशेष बचे हैं, शायद वे भी जल्दी ही अतीत बन जाते। वैसे देश में अरावली की पर्वत श्रेणियां ऐसे एकमात्र स्थल नहीं हैं, जहां खनन गतिविधियों की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुंची है। इससे पहले दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में खनन गतिविधियों से वहां के जंगलों व उनमें बहने वाली नदियों को काफी नुकसान हो चुका है। पश्चिमी घाट दुनिया के उन गिने-चुने स्थलों में से है जहां अद्भुत जैव विविधता के दर्शन होते हैं। पश्चिमी घाटों को बचाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को ही दखल देना पड़ा था।

समस्या यह है कि हम अब तक विकास का ऐसा कोई मॉडल तैयार नहीं कर पाए हैं जिसमें विकास गतिविधियां और पर्यावरण संरक्षण समानांतर रूप से साथ-साथ चल सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के विकास में खनिजों की बेहद अहम भूमिका है, लेकिन इनका दोहन पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार खनन कंपनियों और पर्यावरणविदों को मिलकर ऐसा रास्ता निकालना होगा ताकि खनन के साथ ही पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सके।

बैठक में वर्ष 2005-06 के अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की गइ जिसमें निम्न विषय शामिल किये गये।

1. सिल्वी पास्टरोल क्षेत्र, पुष्कर में बीज उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा मे नमी प्रचुरता का प्रभाव।
2. प्रजातियों का चयन
3. रतनजोत की वृद्धि एवं उत्पादकता पर अध्ययन
4. वन-बीज मानकों का लेबल लगाना।

वर्ष 2006-07 के कार्यों की भी इस बैठक में समीक्षा की गई, जिसमें निम्न बिन्दु समाहित किये गये।

अ. शुष्क पादपों की कटाई-छटाई की तकनीक का विकास तथा अध्ययन

आ. विभिन्न हारमोन्स का उपयोग करते हुए धौक के पौधे तैयार करना।

इ. मुजांल की पौधशाला तकनीक

ई. रूट ट्रेनर में तैयार पौधों की रोपण पश्चात् बढ़वार एवं जीवितता प्रतिशत में तुलना।

उ. कीटनाशकों का बीज अंकुरण प्रतिशतता एवं उपयोगिता का प्रभाव।

वर्ष 2008-09 के प्रस्तावित प्रयोगों पर ग्रुप द्वारा निम्नांकित अभिशंसाऐं की गई।

1. Azadirachta indica, Prosopis cineraria & Tecomella anduleta के अच्छी गुणवता वाले पौधे तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार के खाद का उपयोग।
2. हाईटेक नर्सरी में विभिन्न हार्मोन्स का उपयोग करते हुए Sterculia urens का वानस्पतिक विकास।
3. Oroxylum indicum की बीज अंकुरण पर अध्ययन।
4. शुष्क पतझरी वनों में Simarouba glauca को उगाने की प्रयोगात्मक कोशिश।
5. पौध वृद्धि पर मल्चिंग का प्रभाव
6. लेमन ग्रास का आजमाईश तथा इसकी तेल मात्रा का मूल्यांकन
7. नीम की बढ़वार पर फंफूदीनाशक का प्रभाव।

बैठक में वर्ष 2009-10 के प्रस्तावित प्रयोगों हेतु निम्न अभिशंसाऐं की गई।

1. विभागीय पौधशालाओं में अच्छे लम्बे पौधे तैयार करने हेतु 30×45 सेमी की थैलियों का प्रयोग तथा कम से कम चार उपचार करना चाहिये।
2. उपलब्ध अनुसंधान परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन, अपडेट कर Oroxylum indicum प्रजाति पर एक फोल्डर प्रकाशित किया जावे।
3. आफरी के अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में जारी प्रयोग सतत् रहने चाहिये।

बैठक के अन्त में उप वन संरक्षक (सिल्वा) श्री आर.के. जैन ने सबका आभार व्यक्त किया और कहा कि विशेषज्ञों द्वारा बताये गये सुझावों के अनुसार अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाया जायेगा।

एलोवेरा

❑ वैद्य राधामोहन शर्मा

औषधीय पौधे

सर्व सुलभ हैं एलोवेरा। जिसे ग्वारपाठे के रूप में जाना जाता हैं, संस्कृत में घृतकुमारी के नाम से मशहूर हैं यह औषधि। वैसे तो सब ग्वारपाठे कड़वे ही होते हैं। कोई ज्यादा कड़वा तो कोई थोड़ा कम। कड़वे ग्वारपाठे का रंग ज्यादा गहरा होता हैं। मीठे पत्ते कड़वे पत्तों की अपेक्षा कम मोटे व कम चौड़े होते हैं। इनका रंग भी ज्यादा गहरा नहीं होता। पत्तों के दोनों किनारों पर छोटे–छोटे कांटे होते हैं। पत्तों को छीलने पर इससे गाढ़ा जैल निकलता हैं। आजकल कई ब्रांडेड कंपनियां एलोवेरा पल्प का उपयोग बहुतायत से कर रही हैं। लेकिन बिना किसी रिसर्च के इसका उपयोग फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता हैं।

एलोवेरा से घरेलू उपचार

गांठ होने पर

शरीर के किसी भी भाग में गांठ होने पर इसके गूदे को बांधने से गांठे पिघल जाती हैं और बगैर चीर–फाड़ के गांठ से मुक्ति मिल जाती हैं।

घुटनों में दर्द

एलोवेरा जैल से घुटनों पर अच्छी तरह मालिश करने से दर्द में राहत मिलती हैं।

सौंदर्य के लिए

एलोवेरा जैल में पिसी काली मिर्च और धनियां पाउडर मिला कर फेस पैक बनाएं। नियमित रूप से चेहरे पर लगाने से कील–मुहांसे, झाइयां और चकते दूर हो जाते हैं।

नेत्र रोग में

एलोवेरा के जैल पर जरा सी हल्दी डालकर गरम करें। आंखों पर बांधने से राहत मिलेगी।

पेट दर्द में

ढ़ाई सौ ग्राम अजवायन, 25 ग्राम हरड़ और सेंधा नमक को दो सौ ग्राम एलोवेरा के रस में भिगों दे इसी में नींबू का रस डालकर सुखा लें और चूर्ण बनाकर पानी के साथ लें।

जोड़ों के दर्द में

एलोवेरा बाटी, चूरमा और एलोवेरा पाक के सेवन से गठिया, लकवा आदि रोगों में काफी आराम मिलता हैं।

एलोवेरा बाटी व चूरमा बनाने की विधि

ग्वारपाठे को छीलकर गूदा निकाल लें। गेहूं का आटा लें। बिना पानी डालें सिर्फ एलोवेरा पल्प से गूंध लें और बाटी बना लें। इसे ओवन या कंडे में सेंके। इसमें खूब सारा घी व स्वादानुसार बूरा मिलाकर चूरमा तैयार कर लें। सुबह एक समय इसी चूरमे का भोजन करें। मीठा पसंद नहीं हैं तो बाटी पर अच्छी तरह घी लगाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। सात दिनों तक सुबह–सुबह एलोवेरा बाटी य ाचूरमा खाने से पुराने से पुराना गठिया का दर्द भी दूर हो जाएगा। इससे बुखार के बाद की कमजोरी और पीलिया रोग में भी राहत मिलती हैं।

गठिया नाशक पाक

ग्वार पाठे के गूदे को कलईवाले बर्तन या स्टील की कढ़ाई में देशी घी डालकर भूनें। लाल रंग होने पर अलग बर्तन में निकालें। एक किलों गेंहू का आटा, आधा किलो घी डालकर सेंके। इसमें एक किलो बूरा, छुआरा, मुनक्का, पिस्ता आदि डालकर लड्डू बना लें।

परहेज : इन लड्डूओं का सेवन करने के समय गुड़, तेल, लाल मिर्च से परहेज रखें। इन लड्डूओं के सेवन से पुराने कब्ज, खांसी–श्वास रोग, क्षय, मंदाग्नि, यकृत प्लीहा रोग, एसिडिटी, हल्का बुखार, मासिक धर्म विकृति आदि दूर हो जाते हैं।

लीवर की खराबी में ग्वारपाठे की सब्जी बनाकर खाने से फायदा मिलता हैं। भोजन के बाद चार चम्मच कुमार्यासव इतने ही पानी में मिलाकर लें।

कैर व कंथेर उगाने की पौधशाला तकनीक

❑ डॉ. सतीश कुमार शर्मा

कैर (कैपेरिस डेसीडुआ) तथा कंथेर (कैपेरिस सिपियेरिया) दोनों वानस्पतिक कुल कैपेरिडेसी के सदस्य हैं। कैर मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुलता से उगता है। इसके फल ''पीचू'' व ''ढालू'' के नाम से जाने जाते हैं। कैर के कच्चे फल अचार बनाने व सब्जी बनाने में काम लिये जाते हैं। इसके पके फल वन्यजीवों जैसे बुलबुल, मैना, कौवा, मोर, कोयल, हरियल, गीदड़, लोमड़ी, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा आदि द्वारा खाये जाते हैं। कंथेर, जिसे राजस्थान में हींस, जाल आदि नामों से जाना जाता है, भले ही सब्जी बनाने के फल तो नहीं देती, लेकिन पके फल मनुष्यों व वन्य प्राणियों को खाने हेतु अवश्य ही प्रदान करती है। कंथेर के पके फल कई जगह जोलिया'' नाम से जाने जाते हैं जो बुलबुल, मैना, कौवा, कोयल आदि पक्षियों द्वारा खाने हेतु पसंद किये जाते हैं।

कैर व कंथेर दोनों ही कम नमी की स्थितियों में पनप सकते हैं। कैर वर्षा के बाद अपनी पत्तियों का पतझड़ कर लेता है लेकिन तना सदा हरा-भरा रहता है। कंथेर के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते। अतः शुष्क परिस्थितियों में भी यह सदाबहार रहती है एवं गर्मी में भी हरी-भरी नजर आती आती है। चूंकि दोनों ही ''स्ट्रेगलर'' या ''स्कैण्डेन्ट'' स्वभाव वाली झाड़ियाँ हैं। अतः शुष्क परिस्थितियों में भी प्लान्टेशनों, चारागाहों, खेतों आदि की प्रभावी जीवित बाड़ बना सकती हैं। बाड़ के अलावा भी इनका रोपण अन्य पौधों की भाँति किया जा सकता है। दोनों ही पौधे न केवल अनेकों प्राणियों को फलों के रूप में भोजन उपलब्ध कराते है अपितु इनके नीचे खरगोश, मोर, तीतर, बटेर, गीदड़, लोमड़ी आदि बसेरा कर लेते हैं एवं सुरक्षा प्राप्त करते हैं। धूप के समय भी वन्य प्राणी इनकी छाया में आराम करते हैं। अनेकों पक्षी इनकी झाड़ियों में घोंसला बनाते हैं। ऐसे उपयोगी पौधों को विभागीय पौधशाला में उगाने की सरल विधि प्रस्तुत है। परन्तु इस विधि को जानने से पहले दोनों पौधों की ''फीनोलॉजी'' व ''डोरमैन्सी'' स्वभाव को समझना जरूरी है।

कैर व कंथेर की फीनोलॉजी एवं डोरमैन्सी स्वभाव

कैर मुख्य रूप से मार्च से जून तक पुष्पन कर फल पैदा करता है। कभी-कभी कैर सर्दियों में भी फूल देने लगता है। कंथेर भी कैर की तरह आमतौर पर मार्च से जून तक पुष्पन व फलन करता है। चूंकि दोनों जातियाँ मानसून के आगमन से पहले फल पका कर बीज विकसित कर लेती हैं। अतः मानसून (वर्षा-ऋतु) में बिना देरी किये बीज उगने लगते हैं। अतः बीजों को भण्डारित न किया जावे बल्कि तत्काल उनके अंकुरण का फायदा लेना चाहिये।

उथला जल कुण्ड विधि (Shallow Aqua-Bed Method)...

जहाँ कैर या कंथेर की काफी झाड़ियाँ हो वहाँ उथले तश्तरीनुमा जल कुण्ड (वाटर होल) बनाने चाहिये। इनमें पानी भर कर पक्षियों को परिचित करा देना चाहिये। पके फल खाकर पक्षी, खासकर बुलबुल जब पानी पीने जाती हैं तो पानी के किनारे बींट करती हैं। वर्षा के कारण तथा जल-कुण्ड के ढाल की वजह से बीज लुढ़कते हुये पानी में पहुँच जाते है। यदि वर्षा न आये तो पानी के स्तर के बाहर चिपके बीजों को सरका कर पानी में डाल देना चाहिये। कैर व कंथेर की झाड़ियों के आस-पास बीटों से संग्रह किये ताजा बीजों को भी तुरन्त पानी में छोड़ देना चाहिये। कुछ घन्टों बाद बीज अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। कैर व कंथेर में बीज ''कम्पाइलोट्रापस'' (Campylotropous) बीजाण्ड से पैदा होते हैं यानि बीज अपने वृन्त पर गोलाकार घूम कर घोड़े की नाल जैसा दिखता है तथा सूक्ष्म बीज द्वार (Micropyle) घूम कर वृन्त (Chalaza) के पास आ जाता है। प्रारंभ में बीज कुण्डालित प्रतीत होगा लेकिन पानी में डूबे उगते नन्हें पौधे हरे रंग के दिखाई देंगे। इस अवस्था में बीजों को उठा कर कुण्डली खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिये अन्यथा भंगुर नन्हा बीजांकुर टूट जायेगा। बीजों को पानी में तब तक पड़े रहने देना चाहिये जब तक कि कुण्डलित बींजाकुर सीधा नहीं हो जाये। इस अवस्था में दो बीज पत्र एक छोर पर खुले दिखाई देंगे। यही वह अवस्था है जब बीजांकुर को उठा कर पानी से निकाल थैलियों में प्रिंकिंग कर दिया जाना चाहिये। कैर हेतु थैली में दोमट मिट्टी व बजरी या बालू रेत का मिश्रण भरना चाहिये। कैर की थैलियों में आम थैलियों

से दुगने छेद किये जावें ताकि अन्दर अतिरिक्त नमी जमा नहीं हो। कंथेर हेतु दोमट से दोमट भारी मिट्टी चलेगी। थैलियों को वर्षा में खुले में भूमि की सतह पर ''रेन्ज बैड'' अवस्था में रखा जावे ताकि पौधे सड़े नहीं।

इस विधि में उथला जल-कुण्ड एक ''जल मातृ क्यारी'' (Aqua Mother Bed) की तरह व्यवहार करता है जहां से अंकुरित बीजांकुर उठा कर सीधे प्रिकिंग किया जाता है। ध्यान रहे अंकुरण के बाद जल क्यारी से शीघ्र बीजांकुरों को उठा लेना चाहिये अन्यथा पानी में पड़े रहने से उनमें सड़न प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में यह भी ध्यान रखे कि जल-क्यारी का कुछ पानी एक प्लास्टिक की थैली में लेकर उसमें बीजांकुरों को डूबी हुई अवस्था में रख शीघ्रताशीघ्र पौधशाला पहुँच कर प्रिकिंग कर देनी चाहिये। प्रारंभ में जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिये। वर्षा की समाप्ति पर खुली धूप में इन पौधों का बेड लगाना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिये।

कैर व कंथेर दोनों ही कम नमी की स्थितियों में पनप सकते हैं। कैर वर्षा के बाद अपनी पत्तियों का पतझड़ कर लेता है लेकिन तना सदा हरा-भरा रहता है। कंथेर के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते।

उपरोक्त विधि के अलावा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही झाड़ियों के नीचे प्राकृतिक रूप से हाल ही में उगे ''वाइल्ड लिंगों'' को उखाड़ कर भी थैलियों में स्थानान्तरित किया जा सकता है। स्मरण रहे 2 बीजपत्र अवस्था प्रिकिंग हेतु ज्यादा उपयुक्त रहती है।

उथला जल कुण्ड विधि में यदि नये कुण्ड बनाने में दिक्कत आये तो अभयारण्य क्षेत्रों में ''वाटर होल्स'' से वर्षा में बीजांकुर संग्रह किये जा सकते हैं या भूमि में उथले गड्ढे खोद कर सफेद प्लास्टिक से लाइनिंग कर भी उथला जल कुण्ड तैयार किया जा सकता है। कुओं के ढाणों में भी पानी भर कर जल कुण्ड तैयार किये जा सकते हैं। कैर व कंथेर बहुल क्षेत्र में पुराने मटकों को जोड़ कर पानी के पात्र के रूप में लटका देना चाहिये लेकिन इन पात्रों के बीच में इस तरह कोई पत्थर खड़ा कर देना चाहिये कि उसका कुछ भाग पानी की सतह से बाहर निकला रहे तथा कुछ पक्षी उस पर बैठ कर भी पानी सके।

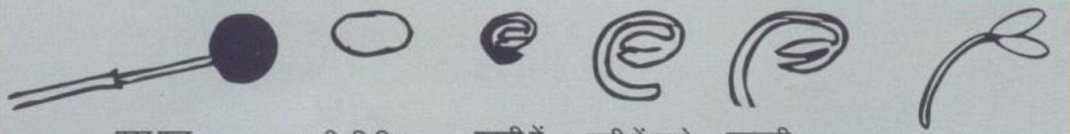

चित्र 1 : कंथेर के बीज की अंकुरण की अवस्थायें

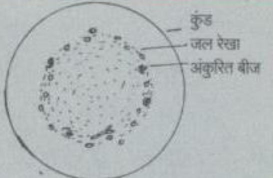

चित्र 2 : उथले कुण्ड की जल रेखा (Water line) पर बीज से बीजांकुर तक की विभिन्न अवस्थायें विद्यमान रहती हैं।

पहले पौधारोपण : फिर सगाई

सगाई की रस्म अदायगी से पहले पौधा लगाने की रस्म! सुनने में तो सामान्यतः यह अजीब सा लगता है किन्तु भीलवाड़ा के जाजू परिवार ने यह अनूठी पहल कर युवा वर्ग को एक संदेश दिया है।

धार्मिक-सामाजिक रीति-रिवाजों से युवक-युवती की सगाई की रस्म होने से पहले उन्होंने भगवान शिव का प्रिय विल्ब पत्र का रोपण किया।

इस अवसर पर वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्री अभिजीत घोष, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रामपाल सैनी, अखिल भारतीय पुष्कर सेवा समिति के अध्यक्ष, रामकुमार भूतड़ा, दूरदर्शन के उपनिदेशक के.के. रत्तु, नगर न्यास व नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाढ़, मुख्य वन संरक्षक, ए.के. सिंह की मौजूदगी में प्रख्यात पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू के सुपुत्र गौरव जाजू एवं भीलवाड़ा के उद्यमी अशोक काबरा की सुपुत्री प्रशिता (समता) ने रिंग सेरेमनी से पूर्व धार्मिक महत्त्व का औषधीय पौधा, बिल्वपत्र रौंपकर प्रकृति प्रेम दर्शाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

पत्र-परिपत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(72)09/NREGS/प्रमुवसं/1206-21 दिनांक : 25.2.09

निमित्त,

समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।

विषय : राष्ट्रीय वनीकरण योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को जोड़ने के संबंध में।

महोदय,

आपका ध्यान भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. J-11019/ 2/ 2008 दिनांक 19.109 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसके अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना तथा राष्ट्रीय वनीकरण योजना को जोड़ने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये है जिनकी प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है। इस दिशा-निर्देश की प्रति आपको मुख्य वन संरक्षकों की मासिक बैठक दिनांक 10.2.09 में भी उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं इस पर विस्तृत चर्चा कर उचित निर्देश भी बैठक में दिये गये थे। प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 4(5) NREGS/Dov/2009 दिनांक 12.2.2009 से इस विषय में सभी जिला कलेक्टरों को इसे क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित किया है। (फोट प्रति संलग्न)।

राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष की वार्षिक योजना में प्रस्तावित नये कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के साथ डवटेल पर कुछ कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत करवाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी दिशा निर्देशों के अनुसार लिये जा सकते हैं।

अतः आप जिला अधिकारियों को जिले में अधिकाधिक वृक्षारोपण तथा अन्य वानिकी कार्यों को दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की वार्षिक योजना 2009-10 में सम्मिलित करावें ताकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण व अन्य कार्य कराये जा सकें।

वार्षिक योजना 2009-10 में कार्य सम्पादित होने पर उन कार्यों को वन विकास अभिकरण के तहत भेंजे जाने वाले आगामी वर्ष की कार्य योजना में डवटेल करने हेतु शीघ्र प्रस्तावित करें ताकि वृक्षारोपण का कार्य उक्त योजना के तहत कराने हेतु वित्तीय संसाधन भारत सरकार से प्राप्त किये जा सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर

घोषणा पत्र

प्रपत्र चतुर्थ
(देखें नियम-8)

1.	प्रकाशक का स्थान	: जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	: मासिक
3.	मुद्रक का नाम	: प्रिण्ट 'ओ' लैण्ड
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: बी-3, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर
4.	प्रकाशक का नाम	: उप वन संरक्षक
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: वानिकी प्रशिक्षण संस्थान वन विभाग, राजस्थान जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
5.	सम्पादक का नाम	: यू.एम. सहाय, IFS
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) वन भवन, सी-स्कीम, जयपुर
6.	उन व्यक्तियों के नाम एवं पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं।	: वन विभाग, राजस्थान

मैं, शिवचरण गुप्ता एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य है।

शिवचरण गुप्ता
उप वन संरक्षक
वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

महिलाएँ पॉलिथीन को कहें 'ना'

पॉलिथीन पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आप भी जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उपयोग करती हैं। इस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ हद तक हम सब दोषी हैं। पॉलिथीन का उपयोग किस हद तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है और भूल सुधार के क्या रास्ते हो सकते हैं, आइए, इस पर चर्चा करते हैं।

अक्सर होती हैं ये गलतियां

महिलाएं रात के बचे हुए भोजन को पॉलिथीन में पैक कर बाहर फेंक देती हैं। गाय को खाना देने की धार्मिक मान्यता का पालन करते हुए हम बड़ी आसानी से पॉलिथीन में खाना पैक कर गाय या दूसरे जाानवरों के लिए रख देते हैं। लेकिन यही कर्म मवेशियों की मौत का मुख्य कारण बनता है। पॉलिथीन में बंद इस खाने को गाय व दूसरे मवेशी खाते हैं। खाने के साथ-साथ उनके पेट में पॉलीथीन की थैली भी चली जाती है, जो उनके गले में फंसकर उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। इसके अलावा पॉलिथीन के विषैले तत्व गाय के दूध में मिल जाते हैं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

भूल सुधार

यदि आपके यहां रात का खाना या अन्य भोज्य सामग्री बचती है, तो उन्हें पॉलिथीन में पैंक कर बाहर फेंकने की बजाए घर के बाहर मिट्टी के सकोरे या बर्तन में रख दें, ताकि गाय, कुत्ते व दूसरे मवेशी आसानी से खा सकें। इस तरह आपका पुण्यफल भी बचा रहेगा और इन प्राणियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप इन बर्तनों को धोएंगी, तो पानी के साथ मिलकर बचा हुआ खाना भी मिट्टी में मिल जाएगा। भूमि इस अपशिष्ट को अवशोषित कर लेगी। इस तरह के उपक्रम में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

पानी का रूकना

घरों की नालियां अक्सर जाम होती है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि किस तरह के कचरे की वजह से नालियां चोक या जाम होती है? आप देखेंगी तो पता चलेगा कि इस कचरे में सर्वाधिक हिस्सा घर में उपयोग होने वाली पॉलिथीन या प्लास्टिक का होता है। यही पॉलिथीन जल-मल निकासी के रास्तों को बंद कर देता है। नतीजतन, नाली का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता है और पानी की पाइप लाइन पर पहुंचकर पेयजल को दूषित कर देता है। इससे विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती हैं और हजारों लोग प्रभावित होते हैं।

भूल सुधार

इससे बचने के लिए आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि नालियों की समय-समय पर सफाई हो और उसमें पॉलिथीन व प्लास्टिक जैसा कुछ न जाए, यह सुनिश्चित करना होगा।

अक्सर हम अनजाने में भोज्य सामग्रियों को रंगीन पॉलिथीन में ले लेते हैं और घर लाकर उस भोज्य सामग्री का सेवन भी कर लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह रंगीन पॉलिथीन, रंगहीन सामान्य पॉलिथीन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दरअसल, रंगीन पॉलिथीन थैलियों को सस्ता बनाने के लिए खाने वाले रंगों का इस्तेमाल न करते हुए, विभिन्न कार्बनिक और घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अनेक भारी और घातक धातुएं भी इनमें विद्यमान रहती हैं। इन रंगीन पॉलिथीन थैलियों में खाद्य वस्तुओं (ठोस व तरल) को रखे जाने पर इसमें पाए जाने वाले विषैले तत्व भोजन श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं, जिससे अनेक जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होती है।

कुछ और तथ्य

पॉलीथीन के कई और भी दुष्प्रभाव हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की जीवनशैली में स्वयं पर्यावरण को सौंपते हैं। सबसे पहले तो यह जानलें कि पॉलिथीन को जलाना, उसे नष्ट करने को उपाय नहीं है। दरअसल पॉलिथीन, प्लास्टिक का अंतिम उत्पाद है और इसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है अपितु यह बार-बार चक्रीकृत होता रहता है और इसका स्तर निरंतर दूषित होता रहता है। इसके अलावा पॉलिथीन का कचरा किसी खाली जमीन में फेंके जाने पर अपघटित नहीं होता है अपितु वह भूमि बंजर हो जाती है। पॉलिथीन को कचरे सहित कभी नहीं जलाना चाहिए। पॉलिथीन सहित कचरा जलाए जाने से निकली गैसें (ग्रीन हाउस प्रभाव) ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। यह गैसें श्वास रोगों जैसे- एलर्जी, अस्थमा आदि को आमंत्रण देती हैं।

क्या करें?

सबसे पहले पॉलिथीन को नकार दें। 'हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा' की मानसिक धारण कर आप काफी परिवर्तन ला सकती हैं। कोई भी सामान लेने जाते समय घर से सामान रखने के लिए जूट अथवा कपड़े के बैग या मोटे कागज से बने थैले साथ रखें। साथ ही खाद्य सामग्रियों को पॉलिथीन थैलियों खासकर रंगीन पॉलिथीन थैलियों में बिल्कुल भी न लें। पॉलिथीन का बहिष्कार करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

(गत अंक का शेष)

Carbon Marketing....

The key actions to be taken by the Government of Rajasthan, given the global competition and limited CER market are;

- Establishment of State Designated CDM Authority (RDA).
- Appointment of Operating Entity.
- Formation of a Technical Advisory Committee at the State Government Level.
- Nomination of State level 'project clearing house' with Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Development) Rajasthan as the nodal officer to promote CDM projects.
- Preparation and dissemination of criteria and guidelines for A & R projects through
  -Wrokshops involving different stakeholders.
  -Publication of booklets, guidelines and information dissemination through websites.
- Identification of capacity building needs and implementation capacity building activities.
- Identification of resource centres or institutions for training, capacity building and monitoring.
- Constitution of a task force at State Level for Forests and Climate change taking services of forest sector, policy planning, advisors and carbon market technical experts.
- Preparation submission & getting sanctions of more and more of carbon market technical experts.
- Experience sharing with other agencies/State govts.

Some States have already taken proactive measures to attract CDM projects in forestry, energy and agricultural sectors. The Government of Rajasthan also should initiate pro-active regulatory as well as promotional measures to attract CDM projects in the forestry sector. Intensively planned, implemented and monitored CDM projects in the forestry sector are likely to provide maximum socio-economic and environmental benefits. Rajasthan has vast degraded or wasteland available for forestry projects, which can halt degradation, create rural employment, conserve biodiversity and ultimately enhance the livelihoods of rural and forest dependent communities.

CDM is therefore a 'win-win' strategy providing local benefits (to communities) as well as global benefits, contributing to the stabilization of CO_2 concentration in the atmosphere. The forest dwellers and rural communities will be rewarded for providing global environmental benefits. The implementation of CDM projects, in Rajasthan, incorporating innovative technical, institutional and financial interventions, could lead to a large positive impact on programmes aimed at forest conservation and regeneration, reclamation of degraded land and socio-economic development of rural communities, in a participatory way.

❒ U.M. Sahai : Bharat Taimani

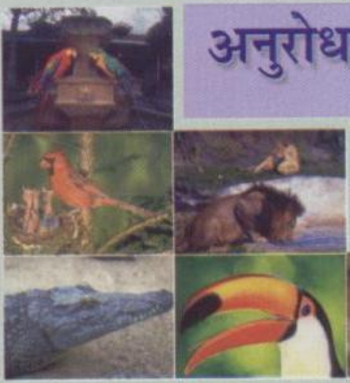

अनुरोध :

वानिकी समाचार में प्रकाशनार्थ आलेख, छायाचित्र, विभागीय गतिविधियों की जानकारी, साझा वन प्रबन्ध की सफल कहानियां, कविताएं तथा अन्य सामग्री प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। यह सामग्री ई-मेल से भी भेजी जा सकती है।

इस पत्रिका के अंक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

– सम्पादक

Book-Post

वन विभाग, राजस्थान के लिए उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर से मुद्रित । 2009/3000
संरक्षक : अभिजीत घोष; संपादक : यू.एम. सहाय; सहायक सम्पादक : सूरज जिद्दी Website : www.rajforest.nic.in • E-mail : vanikisamachar@yahoo.co.in